



# जनसंख्या स्थिरता कोष

(राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक पंजीकृत सोसाइटी

दायित्वपूर्ण मातृत्व-पितृत्व के लिए

## पुरस्कार

श्री ..... और श्रीमती ..... निवासी ..... को रुपए.....

मूल्य का पुरस्कार, किसान विकास पत्र के रूप में दिया जाता है।

यह पुरस्कार उन आदर्श व्यक्तियों के लिए एक सम्मान है जिन्होंने मातृत्व-पितृत्व की स्वस्थ व्यवहारिक प्रक्रियाएं अपनाकर तथा माता और बच्चे की सही देखभाल करते हुए निम्नलिखित कार्यो द्वारा मार्गदर्शन किया है:

1. 19 वर्ष की आयु होने तक लड़की की शादी रोकना।
2. माता की आयु 21 वर्ष हो जाने के बाद पहले बच्चे को जन्म देना।
3. पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म के बीच 36 महीने का अन्तर रखना तथा दूसरे बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता में से किसी एक का बन्धीकरण कराना।
4. विवाह एवं बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराना।

ये सभी स्वस्थ, दायित्वपूर्ण कार्य हैं जिनका जनसंख्या स्थिरता कोष जोरदार समर्थन करता है।

मुख्य चिकित्सा एवं-स्वास्थ्य अधिकारी,  
जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट,  
जोधपुर

कार्यपाल निदेशक,  
जनसंख्या स्थिरता कोष